संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 गैर-स्थायी सदस्य निर्वाचित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस को 2025 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

खबर के मुख्य बिन्दु

- चुने गए पांच परिषद सदस्य 1 जनवरी 2025 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, तथा वे उन सदस्यों का स्थान लेंगे जिनका दो वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है - मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड।
- यह नव-निर्वाचित देश पांच वीटो-संचालित स्थायी सदस्यों - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस - तथा पिछले वर्ष निर्वाचित पांच देशों - अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया के साथ शामिल हो जाएंगे।
- गौरतलब है कि सभी पांच देश इससे पहले सुरक्षा परिषद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं; पाकिस्तान सात बार, पनामा पांच बार, डेनमार्क चार बार, ग्रीस दो बार और सोमालिया एक बार सुरक्षा परिषद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
- यह पाकिस्तान का गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 8वां कार्यकाल होगा।
- इन देशों ने अपने-अपने प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को रेखांकित किया है।
- डेनमार्क ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है, जबकि ग्रीस ने पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर जोर दिया है।
- पनामा ने लैटिन अमेरिका के मुद्दों और सोमालिया ने अफ्रीका के स्थायित्व और विकास को प्राथमिकता में रखा है।
- साथ ही पाकिस्तान ने वैश्विक शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जाहीर की है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

- सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र की अन्य पाँच संस्थाएँ हैं महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद।
- इसका मुख्य काम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में प्रयास करना है।
- इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है।

Result Mitra

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्यों का प्रावधान है:जिनमें पांच स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होंगे।
- पांच स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल हैं।
- स्थायी सदस्यों के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो शक्ति है।
- वहीं प्रत्येक वर्ष 193 सदस्यीय महासभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।
- 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं: 3 अफ्रीका के लिए और 2 एशिया के लिए, 1 पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए, 2 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिए, 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए।
- अफ्रीका और एशिया के बीच एक अरब देश के लिए एक उम्मीदवार आरक्षित करने की अनौपचारिक सहमति है। अफ्रीका और एशिया प्रशांत समूह हर दो साल में एक अरब उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए क्रमवार रूप से कार्य करते हैं।

सुरक्षा परिषद में मताधिकार शक्ति

- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है।
- सुरक्षा परिषद नौ सदस्यों के बहुमत से मुद्दों पर निर्णय लेती है, जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमति वाले वोट भी शामिल हैं।
- यदि पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य प्रस्ताव के विरोध में वोट देता है (यानि वीटो करता है) तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता।
- कोई भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, परिषद के समक्ष प्रस्तुत किसी भी मुद्दे पर चर्चा में वोट डाले बिना भाग ले सकता है, यदि परिषद यह निर्धारित करती है कि सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

Result Mitra